वन धन उत्पादक कंपनियाँ

प्रलिम्सि के लयि:

वन धन कार्यक्रम, आकांक्षी ज़िले, प्रधानमंत्री वन धन योजना, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ

मेन्स के लयि:

वन धन उत्पादक कंपनियाँ स्थापति करने का आदविासी समुदाय पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ज़िलों को प्राथमकिता के साथ अगले पाँच वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 'वन धन' उत्पादक कंपनियाँ स्थापति करने की योजना बनाई है।

- आकांक्षी ज़िले भारत के वे ज़िले हैं जो खराब सामाजकि-आर्थकि संकेतकों से प्रभावति हैं। 'ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिशनल डस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम' (TADP) को केंद्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा क्रयािन्वति कयिा जा रहा है।

प्रमुख बदिु

वन धन कार्यक्रम:

- **परचिय:** यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मज़बूत करने हेतु बाज़ार से जुड़ा एक आदविासी उद्यमति विकास कार्यक्रम है।
    - यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदविासियों के लयि आजीवकिा सृजन को लक्षति करती है।
- **लॉन्च: इस योजना को 2018 में प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) के रूप में लॉन्च कयिा गया था।**
- **कार्यान्वयन**: इसे ट्राइबल कोऑपरेटवि मार्केटगि डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडयिा लमिटिेड (TRIFED) द्वारा कार्यान्वति कयिा जा रहा है।
- **लक्ष्य:**
    - प्रत्येक चरण में इसे उन्नत करने और जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थकि गतविधि में परविर्तति करने के लयि प्रौद्योगकिी और आईटी को जोड़कर आदविासियों के पारंपरकि ज्ञान और कौशल की जानकारी देना।
    - उन क्षेत्रों में जहाँ ये अभी भी प्रचलति हैं, बाज़ार को मज़बूती प्रदान करने के लयि एक व्यवहार्य पैमाने के माध्यम से आदविासियों की सामूहकि ताकत को बढ़ावा देना और उसका लाभ उठाना।
    - मुख्य रूप से आदविासी ज़िलों में आदविासी समुदाय के स्वामतिव वाले लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केंद्रति बहुउद्देश्यीय वन धन विकास केंद्र स्थापति करने का प्रस्ताव है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED):

- ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनकि नयिंत्रण में कार्य करता है।
- ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपने संचालन को अधकि व्यवस्थति और वैज्ञानकि तरीके से कर सकें।
- यह जनजातीय उत्पादकों के आधार के विस्तार हेतु राज्यों/ज़िलों/गाँवों में सोर्संगि स्तर पर नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान करने के लयि जनजातीय कारीगर मेलों (Tribal Artisan Melas- TAMs) का आयोजन करता है।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोत्पाद (MFP) के विपणन के लयि तंत्र और MFP हेतु मूल्य शृंखला के विकास हेतु जनजातीय पारस्थितिकिी तंत्र से भी जुड़ा है।
- ट्राइफेड जनजातीय आजीवकिा कार्यक्रम के साथ कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमति कार्यक्रम का भी विस्तार कर रहा है।

जनजातीय आजीविका कार्यक्रम

- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** इसने जनजातीय समुदायों को पर्याप्त स्वामित्व अधिकार दिये हैं। यह इस मायने में एक पथप्रदर्शक अधिनियम है कि पहली बार इसने न केवल पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि के वैध मालिकों के रूप में मान्यता दी, बल्कि उनके संरक्षण हेतु भी जवाबदेह बनाया।
- **पेसा 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 1996 :** यह ग्राम पंचायत को वन उपज और जनजातियों के मुद्दों के समाधान हेतु स्वामित्व और अधिकार प्रदान करता है।
- **जनजातियों की शिक्षा:** जनजातीय समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिये आदिवासी बहुल प्रखंडों में कई बालिका छात्रावास और आश्रम स्थापित किये गए हैं।
  - आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिये एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (EMRS) स्थापित किये गए हैं।
- **वनबंधु कल्याण योजना:** यह भारत की जनजातीय आबादी के समग्र विकास और कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।
  - इस योजना में देश की जनजातीय आबादी को अन्य सामाजिक समूहों के बराबर लाने और उन्हें राष्ट्र की समग्र प्रगति में शामिल करने का प्रस्ताव है।
  - सरकार का उद्देश्य मानव विकास सूचकांकों में अवसंरचनात्मक अंतरालों और कमियों को दूर करके आदिवासियों का समग्र विकास करना है।
- **जनजातीय हस्तशिल्प:** वनों के घटते क्षेत्रफल के कारण आदिवासियों के लिये रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं।
  - ट्राइफेड द्वारा ट्राइब्स इंडिया की स्थापना की गई है, जो शोरूम की एक शृंखला है, जहाँ जनजातीय वस्त्र, आदिवासी आभूषण जैसे हस्तशिल्प की कई श्रेणियों का विपणन किया जा रहा है।
  - ट्राइफेड जनजातियों के क्षमता निर्माण हेतु भी कार्य कर रहा है।

स्रोत: पी. आई.बी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/van-dhan-producer-companies